

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 412

वर्ष-2014 के थाना-वाद संख्या-91, थाना-एयरपोर्ट, जिला-पटना से उद्भूत

=====

गिरिराज सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह, ग्राम के निवासी बरहिया, थाना बरहिया, जिला लखीसराय, वर्तमान में 15, सर्कुलर रोड, थाना सचिवालय, जिला पटना।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना के माध्यम से भारत का चुनाव आयोग
2. उप-मंडल अधिकारी, पटना सदर, जिला पटना।
3. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना।
4. दुर्गादुता झा, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना।
6. हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन, पटना के प्रभारी अधिकारी।

.....प्रतिवादीगण

हेडनोट

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धाराएँ 123 (3), 123 (3ए) एवं 125 भारतीय दंड संहिता 1860 धाराएँ 171 ई, 153 ए, 153 बी, 295 ए एवं 505 (2) भारत का संविधान अनुच्छेद 226 नफरत कथन-याचिकाकर्ता का व्यान कि लोगों का समूह नरेन्द्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहे थे

एवं पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है, यह स्वयं भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ई के तहत दंडनीय अपराध का गठन नहीं करेगा यदि दो धार्मिक समूह या समुदाय कथन में उल्लिखित नहीं है, तो भा.द.वि. सं. की धारा 153 ए के तहत कोई अपराध नहीं है मात्र एक समुदाय या समूह की भावना को उत्तेजित करना भा.द.वि. सं. की धारा 153 एक का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती है अपराधिक मनस्थिति भा.द.संख्या की धारा 153 ए के तहत अपराध में आकर्षण का एक अनिवार्य है याचिकाकर्ता जो एक राजनीति है, को किसी सम्प्रदाय के मैत्रीभाव भंग किए बगैर जनता के समक्ष बोलने एवं अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है इसी प्रकार याचिकाकर्ता का व्यान ऐसा व्यान नहीं है, जिसके लिए याचिकाकर्ता पर भा.द.संख्या ही धारा 153 बी के तहत मुकदमा किया जासए यदि किसी कथन को सत्य माना जाता है तो यह मात्र एक राजनीतिक कथन एव यह किसी धर्म जाति या भाषा या भारत के क्षेत्र के भीतर स्थित किसी राज्य के खिलाफ नहीं है याचिकाकर्ता के कथन में किसी धर्म का उल्लेख नहीं है या समुदाय का अपमान नहीं करता है एवं याचिकाकर्ता के खिलाफ भा.द.सं. (कंडिका सं 16, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 32, 33 एवं 34) संदर्भित मामले विलास अहमद कालू बनाम ए.पी. का राज्य (2007) एस.सी.सी. 1 महेन्द्र सिंह धोनी बनाम येरागुटला श्यामसुदर (2007) 7 एस सी सी 760 बलवत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 (3) एस सी सी 215, विलास अहमद कालू बनाम राज्य (1997) 7 एस सी सी 431 हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, आखिल भारतीय प्रतिवेदक 1992 604 भरोसा किया। की धारा 295 ए के तहत कोई नहीं कायम होता है- याचिकाकर्ता पर भा.द.सं. की धारा 505 (2) के मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि भा.द.सं. की धारा 505 (2) के तहत मुकदमा चलाये जाने के लिए याचिकाकर्ता का व्यान किसी खास धर्म, प्रजाति जना-स्थान आवास, भाषा या क्षेत्रीय समूह या समुदाय के जाति के लोगों के खिलाफ होना चाहिए वर्तमान बाद में लोन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3-ए) के धटक का पूर्णरूपेण अभाव है इसी तरह याचिकाकर्ता के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के धटक कायम नहीं होते हैं प्रथम सुचना प्रतिवेदन एवं सभी परिणामत कारवाई को रद्द किया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 412

वर्ष- 2014 के थाना वाद संख्या-91, थाना- एयरपोर्ट, जिला- पटना से उद्भूत

=====

गिरिराज सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह, ग्राम के निवासी बरहिया, थाना बरहिया, जिला लखीसराय, वर्तमान में 15, सर्कुलर रोड, थाना सचिवालय, जिला पटना।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना के माध्यम से भारत का चुनाव आयोग
2. उप-मंडल अधिकारी, पटना सदर, जिला पटना।
3. विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना।
4. दुर्गादुत्ता झा, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना।
6. हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन, पटना के प्रभारी अधिकारी।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए:- श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

श्री मलय कुमार चौधरी, अधिवक्ता

राज्य के लिए:- श्री एस. के. झा, जी.पी.-3

चुनाव आयोग के लिए:- श्री सिद्धार्थ प्रसाद अधिवक्ता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार

मौखिक निर्णय

तिथी: 21-02-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मलय कुमार चौधरी द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर, भारतीय चुनाव आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ प्रसाद एवं राज्य के लिए विद्वान वकील श्री एस. के. झा को सुना।

2. यह आवेदन भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 171-ई, 153-ए, 153-बी, 295-ए, 505 (2) के तहत एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराएँ 123 (3) 123 (3 ए) एवं 125 के तहत अपराधों के लिए 2014 की हवाई अड्डा थाना वाद सं.-91 के माध्यम से दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए दायर की गई है।

3. वर्तमान एफ. आई. आर. याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना, दुर्गा दत्ता झा द्वारा दर्ज किया गया है। यद्यपि एफ. आई. आर. कई पृष्ठों में चलता है, लेकिन एफ. आई. आर. का सार नीचे उद्धृत किया गया है:

“नरेन्द्र मोदी के समर्थक है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, सेक्युलर नहीं है, मैं कहता हूँ कि आज नरेन्द्र मोदी के विरोध में जो ताकत आज बिहार में या पूरे देश में एकजुट होकर के नरेन्द्र मोदी को हटाने में लगा है वो पाकिस्तान परस्त है उसके लिए हिन्दुस्तान में कोई जगह नहीं है।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री अजय कुमार ठाकुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एफ. आई. आर. में सही संदर्भ और पूर्ण बयानों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन एफ. आई.

आर. में उद्धृत बयान याचिकाकर्ता से पूछे गए एक सवाल का जवाब था कि नरेंद्र मोदी के समर्थक धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिर्पेक्ष नहीं हैं और इसके जवाब में कहा गया था कि बिहार के साथ-साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी का विरोध करने और उन्हें हराने के लिए एकजुट होने वाली ताकतें "पाकिस्तान परस्त" हैं, जिनके लिए भारत में कोई जगह नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भले ही याचिकाकर्ता के बयान को जैसा है वैसा ही लिया जाए, फिर भी यह किसी भी धर्म, जाति, भाषा या भारत में स्थित एक या दूसरे राज्य के खिलाफ नहीं है और यह कथन याचिकाकर्ता को दिए गए प्रश्न का उत्तर है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ठाकुर ने आगे समर्पित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई चुनाव में रिश्वतखोरी के लिए सजा को परिभाषित करती है, जो वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई कहती है कि जो कोई भी रिश्वतखोरी का अपराध करता है, उसे किसी अवधि के लिए जो एक वर्ष की अवधि तक बढ़ सकता है, के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा और रिश्वतखोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी के तहत परिभाषित किया गया है और याचिकाकर्ता का तथाकथित बयान भारतीय दंड संहिता की धारा 171-बी के तहत उल्लिखित किसी भी मानदंड में नहीं आएगा।

6. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का अगला निवेदन यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करने से संबंधित है, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में याचिकाकर्ता का बयान, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर किसी भी समूह के खिलाफ नहीं है और न ही यह किसी भी तरह से सद्भाव बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति समुदाय के खिलाफ निर्देशित नहीं है। और इसी तरह, भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तत्व भी वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं हैं।

7. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए इस मामले में लागू नहीं होगी क्योंकि इसमें यह प्रावधान है कि जो कोई भी भारत के नागरिक के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से या तो बोले गए या लिखित शब्दों से या संकेतों से या दृश्य अभ्यावेदन से या अन्यथा, उस वर्ग के धर्म और धार्मिक विश्वास को उकसाने या भड़काने का प्रयास करता है, लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने बोले गए या लिखित शब्दों से भारत के नागरिक के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं किया है। इसी तरह, भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तत्व भी वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं हैं क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) किसी भी बयान या अफवाह या खतरनाक समाचार को बनाने या प्रकाशित करने के संबंध में है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता नवादा निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य का उम्मीदवार था। और उनका चुनाव पहले ही 10 अप्रैल, 2014 को समाप्त हो चुका था और इस प्रकार उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या भारतीय दंड संहिता के तहत उम्मीदवार की श्रेणी में लाने का कोई सवाल ही नहीं है और न ही ऐसा कोई आरोप है कि जिस उम्मीदवार का चुनाव होने वाला था, उसकी सहमति से याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा बयान दिया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए पूरे बयान एफ. आई. आर. में उद्धृत नहीं किए गए हैं और एफ. आई. आर. दर्ज करते समय बयान के केवल एक हिस्से को उद्धृत किया गया है और यह उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ठाकुर ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

- i. **बिलाल अहमद कालू बनाम एपी राज्य। (1997) 7 एस. सी. सी. 431 में सूचित किया गया।**

- ii. मंजार सईद खान बनाम। महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2007) एस. सी. सी. 1 में सूचित
- iii. महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर और एक अन्य ने (2017) 7 एस. सी. सी. 760 में रिपोर्ट किया।

10. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करके और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ. आई. आर. में उद्धृत बयानों को पढ़ने से याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए, यह न्यायालय इस आवेदन को अनुमति दे सकता है और एफ. आई. आर. को रद्द कर सकता है।

11. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने भी अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एफ. आई. आर. में कथित अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाए गए हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने ऐसे बयान दिए हैं जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं और तदनुसार, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज किया गया था।

12. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान लोगों के विभिन्न वर्गों और भारत के नागरिकों के बीच शत्रुता को बढ़ावा दे सकते हैं। यह भी कहा गया है कि चुनाव के समय याचिकाकर्ता के बयानों ने लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक तनाव पैदा किया होगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का आरोप सही नहीं है क्योंकि एफ. आई. आर. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के परिणामस्वरूप दर्ज किया गया था।

13. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करके, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

14. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है। मैंने एफ. आई. आर. सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का भी अध्ययन किया है।

15. मामले की बेहतर विवेचन के लिए, भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करना उपयोगी होगा। तैयार संदर्भ के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

“171-ई. रिश्वत के लिए दंड:- जो कोई भी रिश्वतखोरी का अपराध करता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

बशर्ते कि इलाज द्वारा रिश्वत को केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा।”

16. याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई के संयुक्त अध्ययन से, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता का यह बयान कि व्यक्तियों का एक समूह जो नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहा था और पाकिस्तान का समर्थक था, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है, अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई के तहत दंडनीय अपराध का गठन करता है क्योंकि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई के तहत परिभाषित रिश्वत के बराबर नहीं है।

17. भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए भी नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

“153 ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। -- (1) जो कोई भी--

(ए) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर, विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या

शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, या

(बी) ऐसा कोई भी कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और जो सार्वजनिक शांति को बाधित करता है या बाधित करने की संभावना रखता है। या

(सी) मैं किसी भी अभ्यास, गति विधि ड्रिल न ऐसी अन्य गतिविधि जिसका आशय यह है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले अपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या इसका प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले अपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या प्रयोग के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से ऐसी धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच चेतावनी या भय या असुरक्षा की भावना पैदा करने या पैदा करने की संभावना है।

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए की प्रयोज्यता पर मंजार सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (ऊपर) के मामले में अदालत के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है। उपरोक्त निर्णय की कंडिकाएँ सं. 16 से 18 निम्नानुसार पढ़ा गया:

“16. आई. पी. सी. की धारा 153-ए, जैसा कि यहाँ ऊपर निष्कर्षित किया गया है, एक ऐसे मामले को शामिल करती है जहाँ व्यक्ति शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्वों द्वारा या अन्यथा, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है या सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करता है या सार्वजनिक शांति को बाधित करने की संभावना रखता है। अपराध का सार विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने का इरादा है। अव्यवस्था पैदा करने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा आई. पी. सी. की धारा 153-ए के तहत अपराध की अनिवार्यता है और अभियोजन पक्ष को प्रथम दृष्टया आरोपी की ओर से अपराधिक मनः स्थिति के अस्तित्व को साबित करना होगा। इरादे को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा और उन परिस्थितियों से आंका जाना चाहिए जिनमें पुस्तक लिखी और प्रकाशित की गई थी। धारा 153 ए के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आरोप को साबित करने के लिए कोई भी जोरदार शब्दों और अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में कोई यहां एक वाक्य और वहां एक वाक्य ले सकता है और उन्हें अनुमानित तर्क की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया से जोड़ सकता है।

17. रमेश बनाम भारत संघ के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि टीवी धारावाहिक "तमस" सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को नहीं दर्शाता है और आई. पी. सी. की धारा 153 ए के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। यह आई. पी. सी. की धारा 153 बी के तहत आने वाली राष्ट्रीय एकता के लिए भी प्रतिकूल

नहीं था। भगवती चरण शुक्ला बनाम प्रांतीय सरकार मामले में न्यायमूर्ति विवियन बोस की टिप्पणियों को मंजूरी देते हुए न्यायालय ने कहा कि

“शब्दों के प्रभाव को उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के, न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं। यह साधारण तर्कसंगत व्यक्ति का मानक है या जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं, "एक क्लैफम सर्वसंग्रह के शीर्ष पर आदमी"। (रमेश मामला, एस. सी. सी. पी. 676, पैरा 13)।

18. बिलाल अहमद कालू बनाम ए. पी. राज्य में फिर से यह माना गया है कि दोनों धाराओं में समान विशेषता है। अर्थात् धारा 153 ए और 505 (2), विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों और समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने के लिए, यह आवश्यक है कि कम से कम दो ऐसे समूहों या समुदायों को शामिल किया जाए। इसके अलावा, यह देखा गया कि केवल किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना एक समुदाय या समूह की भावना को उकसाना दोनों में से किसी भी धारा को आकर्षित नहीं कर सकता है।”

19. उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तत्व केवल तभी लागू होते हैं जब बयान विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देने के इरादे से दिया गया हो और भाषण में दो समूहों या समुदाय के व्यक्ति होने चाहिए। यदि भाषण में दो धार्मिक समूहों या समुदायों का उल्लेख नहीं किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत कोई अपराध नहीं माना जाता है। किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल एक समुदाय या समूह की भावना को भड़काना भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए को आकर्षित नहीं कर सकता है। इसके अलावा, **बलवंत सिंह और एक**

अन्य बनाम पंजाब राज्य में जो 1995 (3) एस. सी. सी. 215 में प्रतिवेदित किया गया है के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए अपराधिक मनः स्थिति एक आवश्यक धटक है।

20. एफ. आई. आर. में उद्धृत बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी समूह या समुदाय का कोई उल्लेख नहीं है और बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि यह बयान याचिकाकर्ता द्वारा इस इरादे से कि लोगों के दो समूहों के बीच शत्रुता और घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना है और अव्यवस्था पैदा करना या लोगों को एक-दूसरे के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाना, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत अपराध के लिए एक अनिवार्य शर्त है। याचिकाकर्ता का बयान केवल इस आशय का है कि व्यक्तियों का एक समूह नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर रहा था, वे पाकिस्तान के समर्थक थे और उनके लिए देश में कोई जगह नहीं है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को एक राजनेता होने के नाते सांप्रदायिक सदभाव को बाधित किए बिना सार्वजनिक रूप से बोलने और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इसलिए, प्रश्नगत बयानों को घृणित भाषण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है।

21. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी का संबंध है, उपरोक्त धारा को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो निम्नानुसार है:-

“153- बी. राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, दावे-(1) जो कोई भी, बोले गए या लिखे गए शब्द या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्वों द्वारा या अन्यथा:

(ए) ऐसा कोई आरोप लगाता है या प्रकाशित करता है जो व्यक्तियों का कोई भी वर्ग अपने किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के नाते, भारत की संप्रभुता और अखंडता को

कानून द्वारा स्थापित या बनाए रखने वाले भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखते हैं, या

(बी) यह दावा करता है, परामर्श देता है, सलाह देता है, प्रचार करता है या प्रकाशित करता है कि व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से इन्कार किया जाएगा, या वंचित किया जाएगा।

(सी) किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के बारे में कोई दावा, परामर्श, याचिका या अपील करता है या प्रकाशित करता है, और ऐसा दावा, परामर्श, याचिका या अपील ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना पैदा करता है या होने की संभावना है।

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना के साथ या दोनों के साथ।”

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान किसी भी वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ होगा, क्योंकि वे जाति या समुदाय के लिए किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं और वे भारत के नागरिक के रूप में अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं या यदि व्यक्ति के बयान से अन्य व्यक्तियों की भावना या दुर्भावना पैदा होने की संभावना है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों को पढ़ने से, जैसा कि एफ. आई. आर. में उद्धृत किया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के विरोधी बिहार के साथ-साथ पूरे देश में नरेंद्र मोदी का विरोध करने और उन्हें हराने के लिए एकजुट हुए थे, वे पाकिस्तान के समर्थक हैं और जिनके लिए

भारत में कोई जगह नहीं है। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता का बयान ऐसा बयान नहीं है जिसके लिए याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तहत मुकदमा चलाया जा सके और याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-बी के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है। यदि कथन को सत्य माना जाता है तो केवल यह एक राजनीतिक कथन है और यह किसी भी धर्म, जाति या भाषा के खिलाफ या भारत में स्थित किसी भी राज्य के खिलाफ नहीं है और यह याचिकाकर्ता को पूछे गए प्रश्न का उत्तर है और प्रश्न का हवाला दिए बिना, याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए उद्धृत किया जा रहा है।

23. भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए का प्रावधान यहाँ ऊपर उद्धृत किया गया है:

“धारा 295 ए। जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है - जो कोई भी, 2 [भारत के नागरिकों] के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से, [शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखे गए, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या अन्यथा], धर्म या उस वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने या अपमान करने का प्रयास करता है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो 4 [तीन साल] तक हो सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

24. भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए की प्रयोज्यता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **महेंद्र सिंह धोनी बनाम येरागुंटला श्यामसुंदर और एक अन्य (ऊपर)** के मामले पर विचार किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के अवयवों को लागू करने के लिए किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य या धार्मिक मान्यताएँ या तो बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्वों द्वारा या अन्यथा किए जाने चाहिए। इस न्यायालय की

राय में, वर्तमान मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तत्वों का याचिकाकर्ता के बयान में पूरी तरह से अभाव है, जिसे एफ. आई. आर. में उद्धृत किया गया है। याचिकाकर्ता के बयान में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं है या याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया बयान किसी भी धर्म या समूह का अपमान नहीं करता है और इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए के तहत कोई अपराध नहीं किया गया है।

25. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) का संबंध है, उक्त धारा को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है:

“505(2) वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान - जो कोई भी धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से अफवाह या खतरनाक समाचार वाला कोई भी बयान या रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।”

26. उपरोक्त धारा के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तत्व केवल तभी लागू होते हैं जब बयान धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार के आधार पर, विभिन्न धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने के इरादे से दिया गया हो। **बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (ऊपर)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अपराधिक मनःस्थिति भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत अपराध के लिए समान रूप से आवश्यक अभिधारणा जैसा कि उस उप-धारा में उपयोग किए गए "बनाने या बढ़ावा देने के इरादे से या जो बनाने या बढ़ावा देने की संभावना है" शब्दों से समझा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी भावनाओं को

बढ़ावा देना प्रकाशन और प्रसार होना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने उनसे पूछे गए एक सवाल के जवाब में सार्वजनिक मंच पर बयान दिया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के बयानों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, बल्कि उनका बयान उनके सामने रखे गए एक प्रश्न का उत्तर था। इस न्यायालय की राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया बयान विभिन्न धर्म, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के खिलाफ दिए गए बयान की श्रेणी में नहीं आता है और याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत मुकदमा चलाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए बयान किसी विशेष धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा या क्षेत्रीय समूह या समुदाय की जाति के लोगों के खिलाफ होने चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तत्व नहीं बनाए गए हैं।

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और 505 (2) दोनों अपराधों में सामान्य घटक विभिन्न धार्मिक या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा देना है। धारा 153-ए एक ऐसे मामले को शामिल करती है जहां एक व्यक्ति 'शब्दों' द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा ऐसी भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) के तहत, ऐसी भावना को बढ़ावा देने के लिए अफवाह या खतरनाक समाचार वाले 'किसी भी बयान या रिपोर्ट को बनाना और प्रकाशित करना या प्रसारित करना' चाहिए था। एक ही विषय पर को अलग अलग धाराओं को विधानमंडल का उपबंधित इरादा में समान अपराधों के दो अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया होगा। किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ के बिना केवल किसी व्यक्ति या समुदाय या समूह की भावना को भड़काना भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए और धारा 505-2 के तत्वों को आकर्षित नहीं कर सकता है।

28. बिलाल अहमद कालू बनाम राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 431 में रिपोर्ट किया गया मामला में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिसने भी किसी धार्मिक, या नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए या 505-2 के तहत किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

29. अब, यह न्यायालय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार कर रहा है। तैयार संदर्भ के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“123(3).किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी व्यक्ति को उसके धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या मतदान करने से बचने या धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या अपील करने या राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक, उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए:

बशर्ते कि इस अधिनियम के तहत किसी उम्मीदवार को आवंटित किसी भी प्रतीक को इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं माना जाएगा।”

30. उपरोक्त धारा के तहत मुकदमा चलाने के लिए, किसी व्यक्ति को मतदान के लिए अपील करनी चाहिए या उपरोक्त धारा में उल्लिखित आधारों पर किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान करने से बचना चाहिए। इस न्यायालय की राय में, ऐसी कोई अपील नहीं की गई है जो याचिकाकर्ता को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी बनाए।

31. इसी तरह, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3-ए) केवल तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर भारत के नागरिक के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयानों को पढ़ने से, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3-ए) का तत्व पूरी तरह से अभाव है।

32. इसी तरह, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए, मूल आवश्यकता यह है कि व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए या बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। पुनः, इस न्यायालय की राय में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तत्व याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं बनाए गए हैं क्योंकि बयान धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर, भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए नहीं दिए गए हैं।

33. ऊपर की गई चर्चाओं से, मैं पाता हूं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध, जैसा कि एफ. आई. आर. में आरोप लगाया गया है, नहीं बनाया गया है और एफ. आई. आर. **हरियाणा राजय एवं अन्य बनाम सी.एच भजन लाल एवं अन्य ए.आई.आर. 1992 604** में रिपोर्ट किया गया मामला में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात को देखते हुए रद्द करने के लिए उपयुक्त है।

34. तदनुसार, इस आपराधिक रिट आवेदन की अनुमति है। नतीजतन, एफ. आई. आर. हवाई अड्डा थाना केस नं. 91 भारतीय दंड संहिता की धारा 171-ई, 153-ए, 153-बी, 295-ए, 505 (2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3), 123 (3 ए) और 125 के

तहत दर्ज अपराधों और उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को न्याय के हित में रद्द कर दिया जाता है।

(संदीप कुमार, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।